रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section—(i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 1998/चैत्र 27, 1920

No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 1998/CHAITRA 27, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1998

सा.का.नि. 187 (अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपीलें) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-28 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन की न्यासी परिषद् निम्नलिखित नाम से विनियमावली बनाती है—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 1998 है । यह विनियमावली भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से लागू होगी ।

(2) विनियम "6" के खण्ड (1) में उप-खण्ड (ख) काट दिया जाएगा ।

(3) विनियम "7" की पंक्ति "1" में शब्द 'तथा' के बाद और शब्द 'इसके' के पहले शब्द 'जांच के बाद' जोड़ा जाएगा ।

(4) विनियम "11" में खण्ड "8" के नीचे की टिप्पणी निम्नलिखित प्रकार से प्रतिस्थापित होगी—

टिप्पणी—कर्मचारी, किसी ऐसे कर्मचारी, जिसके पास सहायता देने के लिए अभी दो मामले बाकी पड़े हों, की सहायता नहीं लेगा, परन्तु वह अपनी इच्छा से बोर्ड या सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारी से सहायता ले सकता है । कर्मचारी अपनी इच्छा से संगठन के किसी पदाधिकारी से भी सहायता ले

सकता है बशर्ते कि उक्त पदाधिकारी वकील न हो ।

[एफ सं.-11011/10/95/पी.ई.-I

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल विनियमावली दिनांक 6 जनवरी, 1998 में जी.एस.आर. सं. 14 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी तथा निम्नलिखित संशोधन हुए ।

(1) जी. एस. आर. स. 263 (अ) दिनांक 5-3-93

(2) जी. एस. आर. स. 103 (अ) दिनांक 21-2-94

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 1998

GSR 187 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Jawaharlal Nehru Port and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulation, namely,

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) (Third Amendment) Regulations, 1998. They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In Regulation "6", in Clause (1), Sub Clause (b) shall be "deleted".

3. In Regulation "7" in line "2" after the word "and" and before the word "as" the word "after enquiry" shall be added.

4. In Regulation "11" Note below Clause "8" shall be substituted as follows :—

"Note" :—The employee shall not take the assistance of an employee who has two pending cases in which he has to give assistance but may take the assistance of a retired employee of the Board or Government at his option. The employee can at his option take assistance of an office bearer of the union subject to the condition that the said office bearer should not be a Legal Practioner.

[F. No. 11011/10/95/PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

Foot Note : Principal Regulations were published vide GSR No. 14 (E) dt. 6th January, 1998 and subsequently amended vide:—

(i) GSR No. 263 (E) dt. 5-3-93.

(ii) GSR No. 103 (E) dt. 21-2-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998